Order Sheet (Subsequent)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दौसा, जिला दौसा (राज.)

दीवानी दावा सं.06-2022 उनवान: राजस्थान गौड सनाढ्य बनाम लक्ष्मीकांत

Date	Order with intials of Presiding Officer	Brief note of comp-liance of the order

25-11-2025

अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद पत्र पर सभी वादीगण के हस्ताक्षर नही हैं। अतः वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादपत्र पर सभी वादीगण के हस्ताक्षर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। यह विषय वाद की विधिक वैधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः इस संबंध में वादीगण को सुनना न्यायोचित है।

फलतः, सभी वादीगण को *धारा 30 सीपीसी* के तहत दिनांक **28-11-2025** को इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु *नोटिस जारी किया जाए*।

अतः सभी वादीगण को धारा 30 सीपीसी के तहत दिनांक 28-11-2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी हो।

वादी विवेकानंद उपस्थित है। वह भी दिनांक 28-11-2025 को इस न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस दरख्वास्त आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी व उपस्थिति वादीगण दिनांक 28-11-2025 को पेश हो।

(रविकान्त सोनी RJS)